न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान ....भरमन........ बनाम ....जगमकरण........

किस्म मुकदमा........212 RT Act........ मु0नं0........263........ सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
07.09.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी सं0 1 को आगामी पेशी दिनांक 11.10.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल आ0ख0नं0 806 / 0.4552 है0 वाके ग्राम गुणसार तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 में मौका एवं राजस्व रिकार्ड यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 11.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम	
11/10/21	वकुलाय फरीकेन उप0/श्रीमान P.O. संलग्न दीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 20/12/21 को उनके समक्ष पेश हो।	
26/11/2021	आज यह पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत गुणसार मे पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उप0। दोनो पक्षो की स्थगन आदेश पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी बहस में बताया कि वादी का विवादित आ0ख0नं0 806/0.4552 वाके ग्राम गुणसार मे राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम कोई रेकार्ड दर्ज नहीं है। वादी वकील द्वारा भी अपनी बहस मे बताया कि वादी द्वारा उक्त आराजी [illegible] किया हुआ है इस वजह से राजस्व रेकार्ड मे अंकन नहीं है। [illegible] राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। दोनो [illegible] किया गया। दोनो पक्षो की बहस एवं पत्रावली [illegible] खारिज योग्य है अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र 212 RT Act खारिज [illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। शिविर प्रभारी [illegible] उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)	प्रशासन गांवों के संग अभियान-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:06:03 IST
Reason: SelfAttested